न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी हँसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–87 / 2025 (2025 / 217)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
जगाराम पुत्र कुम्पाराम जाति पटेल निवासी ग्राम बड़ला नगर तहसील झंवर जिला जोधपुर।		1. बुद्धाराम पुत्र कुम्पाराम 2. गोरधनराम उर्फ गोरखराम पुत्र कुम्पाराम जातियान पटेल निवासी कुमारिया नाडा, ग्राम झंवर तहसील झंवर जिला जोधपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति –
1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री प्रहलादसिंह ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की और से सरकारी पैरोकार।

दिनांक :– 04.03.2026

आदेश

पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1330 / 486 रकबा 0.0161 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1331 / 486 रकबा 0.6044 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1336 / 492 रकबा 1.0900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1342 / 1151 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1344 / 1151 रकबा 0.4715 हैक्टेयर वाके ग्राम बड़ला नगर तथा खसर नम्बर 1266 / 1180 रकबा 1.5200 हैक्टेयर ग्राम केरली पटवार हल्का झंवर तहसील झंवर जिला जोधपुर में आई हुई है। जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की सामलाती जमीन बाबत एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 का श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश किया था जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2024 को आदेश पारित किया जाकर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों का बंटवाड़ा डिक्री आदेश दिया गया। डिक्री आदेश अनुसार ही कब्जा काश्त कर रहा हूं लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सीमाज्ञान नही करने दे रहे और आये दिन परेशान करते रहने के कारण प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1330 / 486 रकबा 0.0161 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1331 / 486 रकबा 0.6044 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1336 / 492 रकबा 1.0900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1342 / 1151 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1344 / 1151 रकबा 0.4715 हैक्टेयर वाके ग्राम बड़ला नगर तथा खसरा नम्बर 1266 / 1180 रकबा 1.5200 हैक्टेयर ग्राम केरली का सीमाज्ञान करवाकर चारो तरफ पत्थरगढ़ी आदेश पारित करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण को भेजे गये नोटिस की रजिस्टर्ड ऐडी की रसीदे पेश की गई। जो शामिल मिसल की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

अप्रार्थीगण को जबाव प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये गये। परन्तु जबाव पेश नहीं किये जाने के कारण दिनांक 27.02.2026 को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का जबाव बन्द किया गया। तहसीलदार झंवर को जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी कर जबाव/मौका रिपोर्ट ली गई। जो शामिल मिसल की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरान का सीमाज्ञान करवाना चाहता है एवं मौके पर पड़ौसी खातेदारो द्वारा विवाद की स्थिति उत्पन्न की जा रही है व नपती करने से मना कर दिया।

पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सूनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरान की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाकर चारो ओर पत्थरगढी आदेश पारित करने का निवेदन किया। तहसीलदार झवंर की तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमांकन करवाना चाहता है परन्तु पड़ौसी खातेदारो द्वारा विवाद की स्थिति उत्पन की जा रही है। ऐसी स्थिति में कोई भी पत्थरगढी की कार्यवाही राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के रकबे एवं राजस्व नक्शे अनुसार सीमाज्ञान करवाकर ही की जानी होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1330/486 रकबा 0.0161 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1331/486 रकबा 0.6044 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1336/492 रकबा 1.0900 हैक्टेयर खसरा नम्बर 1342/1151 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1344/1151 रकबा 0.4715 हैक्टेयर वाके ग्राम बड़ला नगर तथा खसर नम्बर 1266/1180 रकबा 1.5200 हैक्टेयर ग्राम केरली पटवार हल्का झंवर तहसील झंवर जिला जोधपुर का सीमांकन पुलिस ईमदाद लेकर किया जाकर पत्थरगढी करवायी जावें। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एंव
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी